## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2002

का.आ. 1278(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 23 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 154( अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री दक्षिणाया भावा समिति, डी सं0 4-2-16, चौथी लेन, लक्ष्मीपुरम, गुन्टुर- 522007( आन्ध्रप्रदेश) द्वारा पाडापालाकलूरू गांव, गुन्टुर, आन्ध्रप्रदेश में विशेष स्कूल, छात्रावास तथा स्टाफ क्वाटर्स हेतु भवन का निर्माण, उपस्करों की खरीद, साज-सज्जा तथा मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए दक्षिणाया संस्थान को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961( 1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दक्षिणाया भावा समिति, डी सं0 4-2-16, चौथी लेन, लक्ष्मीपुरम, गुन्टुर- 522007( आन्ध्रप्रदेश) द्वारा पाडापालाकलूरू गांव गुन्टूर, आन्ध्रप्रदेश में चलाई जा रही विशेष स्कूल, छात्रावास तथा स्टाफ क्वाटर्स हेतु भवन का निर्माण, उपस्करों की खरीद, साज-सज्जा तथा मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए दक्षिणाया संस्थान को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र दो करोड़ सडसठ लाख,अरसी हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप मे विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 370/2002/फा. सं. एन सी-113/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)